कार्यालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

कंमाक– टीए/221/2017

उनवान

शंकरलाल पिता डालचन्द पारीक निवासी पोटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. गोरधन लाल पिता डालचन्द पारीक निवासी पोटला तहसील सहाडा जि भीलवाडा
2. फतू पिता डालचन्द पारीक निवासी पोटला तहसील सहाडा जि भीलवाडा
3. सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
प्रकरण संख्या 88/2016 निर्णय दिनांक 27–6–2017

अभिभाषक – 1. श्री भोपाललाल गूर्जर वकील अपीलार्थी
2. श्री मुकेश चौधरी वकील प्रत्यर्थी संख्या 1
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 अनुपस्थित
4. श्री ओ पी सोनी राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक – 5/3/20

1. प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 88/2016 निर्णय व डि्की दिनांक दिनांक 27–6–2917 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 गोरधनलाल ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पोटला की वाद पत्र मे वर्णित खाता संख्या 1577 की कुल आराजी किता 29 रकबा 6–43 हैक्टर वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं प्रतिवादी/अपीलार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी /प्रत्यर्थी संख्या 2 आपस मे संयुक्त खातेदार है। इसलिये उनके आपस मे मीटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर खातेदारी का विभाजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 17–4–2017 को तीनों पक्षकार एक साथ उपस्थित हुये और अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डि्की जारी कर तहसीलदार को विभाजन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करने के लिये आदेशित करते हुये पत्रावली दिनांक 16–5–2017 को प्रस्तुत करने का आदेश दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16–5–2017

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

को कोई कार्यवाही नही की और दिनांक 9–5–2017 को प्रकरण को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर उभय पक्षकारों को दिनांक 27–6–2017 के पेशी के नोटिस जारी कर लोक अदालत पोटलां मे प्रकरण के निस्तारण हेतु उपस्थित होने को कहा । दिनांक 27–6–2017 को वादी के अधिवक्ता उपस्थित हुये किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित रहे । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सहाडा द्वारा भेजे गये विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डि्की जारी कर दी जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के अभिभाषक की बहस को सुना गया । प्रत्यर्थी संख्या 3 बाबजूद सूचना के अनुपस्थित हैं। प्रत्यर्थी संख्या 4 राजकीय अधिवक्ता इस प्रकरण मे फोरमल पक्षकार है।

4. अपीलार्थी के विद्धान वकील ने अपील मेमो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया । राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल), नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही की है। मौके के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार नही किये गये है। बंटवाडा प्रस्ताव को मौके एवं कब्जे के आधार पर तैयार नही किया गया है। अपीलाण्ट के हिस्से मे जो आराजी संख्या 4880 रखी गई है उस पर जाने का रास्ते का विभाजन स्कीम मे उल्लेख नही किया गया है। सामलाती हिस्से मे आने जाने का रास्ता रखना चाहिये । उनका यह भी कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय मे विभाजन स्कीम तैयार तहसीलदार द्वारा तेयार नही की गई है और न ही उन्हे मौके पर ही बुलाया गया । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डि्की एवं अन्तिम डि्की को निरस्त करने की प्रार्थना की ।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्धान वकील का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों की उपस्थिति मे प्रारम्भिक डि्की जारी की उसमे ग्राम पोटलां की खाता संख्या 1629 संयुक्त खाते मे दर्ज है और उक्त खाते मे गोवर्धनलाल पिता डालचन्द 1/2 शंकरलाल पिता डालचन्द 1/4 तथा फतू पिता डालचन्द 1/4 दर्ज है। तीनों खातेदारों ने अपने अपने हक हिस्से के अनुसार विभाजन की डि्की चाही थी । अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों पक्षकारों के उपस्थिति मे प्रारम्भिक डिकी जारी की है इसलिये अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया गया । मौके पर उभय पक्षों को तहसीलदार जी बुलाया था और प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित भी हुआ था किन्तु उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया इसलिये तहसीलदार जी ने उभय पक्षों की उपस्थिति मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल), नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन की स्कीम तैयार की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डि्की सही होने से खारिज करने की प्रार्थना की ।

6. हमने उभय पक्षों के वकीलो की बहस को सुना एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 से यह निर्विवाद तथ्य है कि वादपत्र मे वर्णित आराजियात गोवर्धन पिता डालचन्द 1/2, शंकरलाल पिता डालचन्द 1/4 तथा फतू पिता डालचन्द 1/4 के हक हिस्से अनुसार खातेदारी मे दर्ज है। दिनांक 17–4–2017 को प्रथम पेशी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 एक साथ उपस्थित हुये और प्रतिवादी संख्या 3 सरकार पक्ष फोरमल पक्षकार थे। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र पर बहस सुनी गई और तीनों की उपस्थिति मे प्रारम्भिक डि्की दिनांक 17–4–2017 को जारी की गई है और विभाजन स्कीम तहसीलदार से मंगवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनाक 16–5–2017 की पेशी तारीख नियत की गई । दिनांक 29–5–2017 को जिसे बाद मे काट कर 20–5–2017 किया गया सूचना पत्र जारी किया गया जिसमे वाद पत्र मे वर्णित आराजियात के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29–5–2017 को पक्षकारो की उपस्थिति मे बनाया जाना तय किया जाकर सूचना दी गई थी। विभाजन के प्रस्ताव पत्र दिनांक 29–5–2017 को तैयार किये गये जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति मे मौके व कब्जा अनुसार तैयार किया जाना बताया गया है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के इस पर हस्ताक्षर नही है जबकि वादी के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति मे यह नही माना जा सकता है कि विभाजन स्कीम वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की उपस्थिति मे तैयार की गई है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि उसकी भूमि पर जाने के लिये रास्ते नही रखा गया है। इस बिन्दु को ध्यान मे रखते हुये तहसीलदार सहाडा से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल), नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये स्वंय की उपस्थिति मे उभय पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देकर विभाजन स्कीम तैयार करवाई जाकर विभाजन की अन्तिम डि्की जारी की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 5 मार्च 2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.05 19:01:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: